निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 20/अपील/21 तारिख दायराः 09.04.2021

मानसिंह पुत्र हरिसिंह उम्र 55 वर्ष जाति सोंधिया राजपूत नि0 ग्राम कोलवी तहसील गंगधार जिला झालावाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये जिला रसद अधिकारी,झालावाड़

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 09.12.2020 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 50/2020 सरकार बनाम मानसिंह

उपस्थितः– श्री बच्चूलाल, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार रसद

–: निर्णय :– दिनांकः 23.07.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी झालावाड़ के आदेश क्रमांकः 50/2020/दिनांक 09.12.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है । अपने अपील मीमो में अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि अपीलान्ट उचित मूल्य की दुकान रनायरा प्रथम तहसील गंगधार का राशन डीलर था, जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस दिया जिसका जवाब अपीलान्ट द्वारा पेश किया किन्तु जिला रसद अधिकारी ने जवाब का विवेचन व गौर किये बगैर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में प्राधिकार पत्र दिनांक 09.12.2020 को निरस्त कर दिया व प्रतिभूति राशि जप्त सरकार करली। जिला रसद अधिकारी का निर्णय निरस्त योग्य है। अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये जवाब को नजर अदांज किया गया व खाद्य पदार्थ को उचित मूल्य दुकानदार को सम्हला दिया जिससे राज्य सरकार को कोई आर्थिक हानि नही हुई है। निर्णय मनमाना है इस तरह के अन्य मामलों में जिला रसद अधिकारी द्वारा मामूली दण्डित करके लाईसेंस को बहाल किया गया है। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन की पालना में ऐसी जांच की कार्यवाही तीन महिने में पूरी होनी चाहिये उस समयावधि के पश्चात की गई कार्यवाही अवैध व शून्य है । अपीलान्ट गरीब व्यक्ति है उसकी उम्र भी अधिक है रोजगार व व्यवसाय छीनने से परिवार के सामने भूखे मरने की स्थिति पैदा हो जावेगी। अपीलान्ट भविष्य में ऐसी गलती नही करेगा। जिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनांक 09.12.2020 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की डीलर शिप को बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से सबंधित अभिलेख तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अपीलान्ट उचित मूल्य की दुकान रनायरा प्रथम तहसील गंगधार का राशन डीलर था, जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस दिया जिसका जवाब भी दिया गया। किन्तु जिला रसद अधिकारी ने जवाब का विवेचन व गौर किये बगैर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में प्राधिकार पत्र दिनांक 09.12.2020 को निरस्त कर दिया व प्रतिभूति राशि जप्त सरकार करली। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन की पालना में ऐसी जांच की कार्यवाही तीन महिने में पूरी होनी चाहिये उस समयावधि के पश्चात की गई कार्यवाही अवैध व शून्य है । अपीलान्ट भविष्य में ऐसी गलती नही करेगा। अतःजिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनांक 09.12.2020 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

जिला कलक्टर
झालावाड़

पेरोकार रसद ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी गंगधार को डीलर के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार गंगधार से जांच कराई गई । नायब तहसीलदार ने दिनांक 07.04.2020 को मौके पर जाकर जांच की । डीलर ने ना दुकान खोली,ना ही स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध कराये। चाबी नही लाने का बहाना किया गया। जांच अधिकारी ने खिड़की के अन्दर देखा तो उसमें सामान नही था जबकि ऑन लाईन मशीन न0 7413 को देखने से 3757.55 किलो गेंहू होना चाहिये था। नायब तहसीलदार ने गांव वासियों के बयान लिए व मौका पर्चा बनाया गया। उपखण्ड अधिकारी की जांच रिपोर्ट में पूर्व में डीलर के निलम्बित होने व शिकायत सही होने पर लाईसेन्स निरस्त करने की अनुशंसा की गई जिस पर दिनांक 17.04.2020 को अनुज्ञापत्र निलम्बित किया गया।

पेरोकार सरकार ने बताया कि निलम्बित डीलर को दिनांक 21.04.2020 को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया जिसका जवाब तक डीलर ने नही दिया। 05 माह बाद दिनाक 15.09.2020 को जवाब पेश कर कहा कि तबियत खराब होने से गेंहू का वितरण नही कर सका। दुकान नही खोल पाया। स्टॉक रजिस्टर संधारित नही था भविष्य में संधारित कर लूंगा। 15 क्विंटल गेंहू कम था जो पिछली बाढ में खराब हो गया था। रंजिशवश शिकायत की गई है। निलम्बित डीलर द्वारा ना तो समय पर जवाब दिया ना ही सामग्री सुपुर्द की । दिनांक 09.10.2020 को शेष रसद सामग्री सुपुर्द की है।

पुनः जिला रसद अधिकारी ने 19.10.2020 को नोटिस जारी कर पुनः स्टॉक हस्तान्तरण में देरी किये जाने,समय पर खाद्यान का वितरण नही करने,गबन पर जवाब चाहा गया जिसका जवाब नही दिया गया। पुनः 10.11.2020 को नोटिस जारी कर जवाब/साक्ष्य व सफाई हेतु अवसर दिया गया। आरोपी डीलर द्वारा पूर्व में दिये जवाब सन्तोषप्रद नहीं होने,सुनवाई के पर्याप्त मौके देने,05 माह बाद भी सामग्री नही लोटाने को गबन की श्रेणी में व अनियमितता मानते हुए प्राधिकार पत्र को दिनांक 09.12.2020 को निरस्त कर दिया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध ग्राम वासियान रनायरा द्वारा उपखण्ड अधिकारी गंगधार को शिकायत करने पर उनके द्वारा शिकायत अनुसार मौके पर नायब तहसीलदार गंगधार को भिजवाया जाकर जांच करवाई गई व नायब तहसीलदार द्वारा ग्राम वासियान की उपस्थिति में उचित मूल्य दुकानदार रनायरा प्रथम की जांच कर ग्राम वासियान के बयानात लिये जाकर दिनांक 07.04.2020 को मौका जांच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी गंगधार द्वारा अपने पत्रांक 211/रसद/20 दिनांक 08.04.2020 से कोरोना संक्रमण(कोविड–19) महामारी के चलते सरकार द्वारा आंवटित गेंहू का उचित मूल्य दुकानदार द्वारा समय पर वितरण नही करने की लापरवाही बरती जाना व हमेशा लापरवाही बरते जाना तथा पूर्व में भी उक्त डीलर की जांच विचाराधीन रखते हुए बहाल किया जाना अंकन किया गया । उचित मूल्य दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही करते हुए,लाईसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही हेतु अभिंशसा करते हुए पत्र जिला कलक्टर(रसद)झालावाड़ को भिजवाया गया जिस पर जिला रसद कार्यालय में अभियोग संख्या 50 दर्ज किया जाकर उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र के निस्तारिकरण की कार्यवाही को विचाराधीन रखते हुए पत्रांक 2474–78 दिनांक 17.04.2020 से निलम्बित किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्राधिकार पत्र निलम्बन दिनांक 17.04.2020 पश्चात अपीलान्ट को उक्त क्रम में कारण स्पष्ट करने हेतु व अवशेष स्टॉक को संबद्ध उचित मूल्य दुकानदार को नही संभलाने पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलान्ट द्वारा आशिंक सामान ही संबद्ध उचित मूल्य दुकानदार को दिनांक 24.04.2020 को संभलाया गया परन्तु इसका पत्रावली में कंही जिक्र नही है ना ही जिला रसद अधिकारी की मांर्किंग है ना ही रिसीप्ट में दर्ज है जो कार्यालय की मिली भगत को दर्शाता है यही नही आरोपी ने 05 माह बाद दिनांक 15.09.2020 के जवाब में इस बारे में कुछ नही कहा। अवशेष चीनी व केरोसीन को दिनांक 09.10.2020 लगभग 6 माह पश्चात संबद्ध उचित मूल्य दुकानदार को संभलाया गया। अपीलान्ट द्वारा उसको दिये गये नोटिस के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने

जिला कलक्टर
झालावाड़

पर भी अपीलान्ट द्वारा कोई स्पष्ट एंव संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नही किया गया व 6 माह पश्चात सम्पूर्ण स्टाक को सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानदार को हस्तान्तरण किया जाना साबित है । खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर द्वारा आदेश कमांक एफ 17(45) खा.वि./न्याय/76 जयपुर दिनांकः 22.11.2017 की पालना में जाचं की कार्यवाही किसी भी सूरत में 90 दिन के अन्दर पूर्ण कर जिला रसद अधिकारी को अपना निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अपीलान्ट को दिनांक 21.04. 2020,15.09.2020, 19.10.2020 10.11.2020 तक लगातार नोटिस दिये जाने पर भी जानुबूझ कर संतोषप्रद जवाब अधीनस्थ जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत नही करने सामग्री नही लोटाने पर शिकायत को साबित मानते हुए प्रकरण संख्या– 50/2020 में निर्णय दिनांक 09.12.2020 पारित किया गया है। इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट के द्वारा किये गये कृत्य उपरान्त उसको सुनवाई का समुचित अपेक्षित अवसर लगातार दिया जाता रहा किन्तु लगातार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अपीलान्ट जिला रसद अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष साबित करने में असमर्थ रहा है । अपीलान्ट का कृत्य खाद्यान के गबन एवं वितरण में अनियमितता को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करने पर ही जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा राजस्थान खाद्यान एंव अन्य आवश्यक वस्तुएं(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकार पत्र की समस्त प्रतिभूति राशि जप्त राज करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार किया जाना पाया जाता है। डीलर ने पूर्व में डीलरशिप से निलम्बन पर कोई सफाई नही दी है। शिकायत रंजिश वश किये जाने का भी कोई सबूत पेश नही किया है। जॉच अधिकारी के समक्ष दुकान का ताला नही खोलना,स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नही कराना, खिड़की से देखने पर दुकान के अन्दर कोई सामान नहीं दिखना स्पष्ट अनियमितता व गबन की पुष्ठि करता है। जवाब में तबीयत खराब होना मात्र बहाना है यंहा तक कि 05 माह तक जवाब नही दिया 6 माह तक गरीबों की सामग्री पूर्ण रूपेण नही लोटाई। 15 क्विटंल बाद में खराब होना अपने आप में गबन की पुष्ठि करता है। संबन्धित E.I द्वारा मिली भगत कर मौखिक सूचना देना बताता है तो उसे रिकार्ड पर क्यों नही लिया गया। उसके द्वारा जॉच की जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई। स्पष्ट है कि E.I द्वारा एक गबन कर्ता का साथ देने की कोशिश की है जिस पर विभागीय कार्यवाही कि जाने के लिये लिखा जावे।

उपरोक्त विवेचनानुसार शिकायत की पूर्णतय पुष्टि होती है तथा डीलर को गरीबों का राशन हडपने,गबन जैसा कृत्य करने व अनियमितता का दोषी पाया जाता है। 03 माह की अवधि में निस्तारण में देरी जिला रसद अधिकारी के स्तर से नही की गई बल्कि अपीलान्ट के खुद के जवाब नही देने व सामग्री नही लौटाने के कारण हुई है। जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/7/2020

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलेक्टर
झालावाड़